

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:- सहायता/तूफान/स्वीकृति/2021/4693-4700

दिनांक: 13 जुलाई, 2021

-: आदेश :-

उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, धरियावद ने उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में दिनांक 19.05.2021 को तूफान ताउते से पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर मकान क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाये है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार धरियावद के पत्रांक 78 दिनांक 24.05.2021 द्वारा अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 09 (a) (II) में वर्णित प्रावधानानुरूप पीड़ित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर तूफान ताउते से पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर कनिष्ठ अभियन्ता के क्षति मूल्यांकन के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री किसना पिता नगजी मीणा निवासी करमात फंला केसरियावद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 19.05.2021 को तूफान ताउते से कच्चा मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर	5200/-रु.
कुल योग			5200/-रु.

(अक्षरे रुपये पांच हजार दो सौ मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
मांग संख्या 34, 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02- बाढ़ चक्रवात आदि,
113- घर की मरम्मत पुनः निर्माण के लिये सहायता, (09)-बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुन निर्माण के लिये सहायता, (07)- आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का घर, 12- सहायतार्थ अनुदान
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(कुमारी रेणु जयपाल)
जिला कलक्टर एवं नियंत्रक
(आपदा प्रबंधन एवं सहायता)
प्रतापगढ़

क्रमांक:- सहायता/तूफान/स्वीकृति/2021/4693-4700

दिनांक: 13 जुलाई, 2021

प्रतिनिधि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
- कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
- तहसीलदार, धरियावद को भेज लेख है कि आप उक्त पीड़ितों के नाम से किसी बैंक में संचालित बचत खाता के पूर्ण विवरण की सूचना मय बचत डायरी की छाया प्रतियों के 02 दिवस में इस कार्यालय को भिजवावे ताकि स्वीकृत राशि ऑन लाईन बिल द्वारा सीधे संबंधित के खाते में स्थानान्तरित की जा सके साथ ही स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोग पुनः मकान निर्माण के लिये किये जाने के संबंध में पीड़ितों से शपथ पत्र भी लिये जाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
(आपदा प्रबंधन एवं सहायता)